फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी ....

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कृष्णराम वल्द जेठाराम वगैरा (12) जातियान मेगवाल निवासी सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. हीराराम वल्द नगाराम वगैरा (10) जाति कलवी जाति कलवी निवासी हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा......धारा 212 RTA

मु०नं०....13../ 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
02.02.2021	प्रार्थीगण कृष्णराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री हरीश चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण हीराराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 RTA का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा की अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में रहवासी ढाणी पानी के टांके पशु बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सेढा सेड विप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 468 मौजा हाजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी की भूमि आई हुई है। विप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी का सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कब्जा करने पर आमादा है। तथा कुछ भूमि में जबरन कब्जा कर भी दिया है यदि विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में जबरन कब्जा कर पक्के निर्माण करने के मकसद में कामयाब हो जायेंगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ एवं कुछ हिस्से पर किये गये अतिक्रमण को हटाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने हेतु अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अ. का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक ....05/03/21...... को पेश हो। (सुनील कुमार) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	
05/03/21	पत्रावली कार्यवाही हेतु पेश हुई। [illegible] वकील प्रार्थीगण [illegible] के साथ [illegible] द्वारा प्रेषित कापी का [illegible] चाहते हैं। [illegible] दिया जाकर पत्रावली दि० 9/4/21 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:13:41 IST
Reason: SelfAttested

9/5/21 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 7/6/21 .....को पेश हो ।

7/6/21 पत्रावली पेश हुई ।
आज [illegible] कार्यों
में व्यस्त [illegible] होकर
पत्रावली [illegible] 17/8/21.को पेश हो ।

17/8/21. पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील हरिराम बिश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष विपक्षीगण के समक्ष वकील प्रार्थीगण डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 20/9/21 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

15/12/21 – पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर रतनपुरा पेश हुई। प्रार्थी कृष्णाराम व प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। प्रार्थी कृष्णाराम व प्रार्थीगण के वकील द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है अब कोई विवाद नहीं रहा है जिससे उक्त मामला प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं प्रकरण जरिये विड्राल खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी कृष्णाराम व प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त मामला प्रकरण जरिये विड्राल खारिज किया जाता है। [illegible] सुनाया होकर [illegible]

कृष्णाराम
(प्रार्थी सं. 1)

(हस्ताक्षर)
प्रार्थीगण वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:13:41 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ।
2. प्रार्थीगण .... सूचनार्थ।
(प्रमोद कुमार)